classmate
Date
Page

DATE: 24/09/2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 09 (SUPREME COURT: JURISDICTION)
LECTURE NO. - 18 (EIGHTEEN)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

न्यायिक पुनर्विलोकन का मूल्यांकन

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का यदि विश्लेषण किया जाय तो पाएँगे कि एक ओर जहाँ लोकतंत्र के विकास में इसका महत्व पूर्ण स्थान है तो दूसरी ओर इसकी कुछ निर्णयों ने इसे आलोचना का पात्र बना दिया है। निम्नलिखित आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है —

(i) अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य — निम्न निर्णयों ने सर्वोच्च न्यायालय को अनुदारवादी न्यायालय में परिवर्तित करने का कार्य किया है —

(a) 1950-51 में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के अन्तर्गत पारित कुछ भूमि सुधार कानूनों को अवैध घोषित करना।

(b) 1953 में 'शोलापुर स्पिनिंग एण्ड विविंग कम्पनी' के शासन द्वारा अधिग्रहण को अवैध घोषित करना।

(iii) 1967 के 'गोलकनाथ विवाद' में निर्णय दिया कि "संसद ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकती, जो मौलिक अधिकारों को छीनता या सीमित करता हो"

Scanned with CamScanner

वर्णित निर्णयों के अभाव। सर्वोच्च न्यायालय ने 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम की न्यायिक समीक्षा कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अवैध करार दिया, जो इसके अनुहारवादी कार्य को ही दर्शाता है।

(2) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय में परिवर्तन -

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार अपने पूर्व निर्णयों को बदला है। इससे संवैधानिक कानून की समस्त व्यवस्थाओं के प्रति शंकाएँ उत्पन्न हुई हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने 1952 में शंकरी प्रसाद और 1965 में सज्जनसिंह मामले में निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यदि इस सम्बंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाय, लेकिन 1967 के 'गोलकनाथ विवाद' में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि "संसद को संविधान के भाग-3 के किसी उपबंध को इस तरह से संशोधित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिससे कि मौलिक अधिकार छिन जायें या सीमित हो जाय।"

इसी प्रकार अन्य कई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में परिवर्तन किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोहनकुमार मंगलम का कथन है कि "सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में अनवरत परिवर्तन ने कानून की अनिश्चित अवस्था को जन्म दिया है और इससे अधिक हानिप्रद और कुछ नहीं हो सकता कि देश का कानून ही अनिश्चित हो।"

Scanned with CamScanner

(3) संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण —

सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 के गोलकनाथ विवाद और तदुपरान्त खासकर 1967 से 71 की अवधि में जिस प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग किया है, यह निश्चित रूप से संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण है।

(4) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता —

न्यायिक पुनर्विलोकन की वजह से हमेशा भय बना रहता है कि संसद द्वारा निर्मित कानून को कहीं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, अवैध घोषित न कर दें। ऐसी स्थिति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता का वातावरण बना रहता है जो समस्त व्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है। आलोचकों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपने कानूनी प्रश्नों तक ही सीमित रखना चाहिए।

(5) संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संघर्ष की स्थिति को जन्म —

जब संसद द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है जो शासन के लिए ठीक नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित वजहों से ही समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्गठित करने और इनके अधिकारों को सीमित करने की माँग उठती रही है।

न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व —

वर्णित अनेक आलोचनाओं के

बावजूद सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का महत्व काफी है। यह भारतीय लोकतन्त्र के विकास हेतु आवश्यक और राज-व्यवस्था के लिए अत्यंत हितकर है। निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से इसके महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं —

(i) संविधान द्वारा संघीय व राज्य-सरकारों के मध्य किए गए शक्ति विभाजन की रक्षा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से ही संभव है।

(ii) शासन की निरंकुशता को रोकने व नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा भी इसी शक्ति के द्वारा किया जा सकता है।

(iii) यह व्यवस्था संविधान के संतुलन-चक्र का कार्य करती है और इसी शक्ति के द्वारा न्यायालय (सर्वोच्च व उच्च) संविधान की व्याख्या एवं रक्षा कर सकता है।

इस प्रकार हम यदि न्यायिक पुनर्विलोकन के आलोचना के आधार एवं इसके महत्व का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि कुछ आलोचनाएँ असमर्थ है तथा तथ्यों से परे हैं। यह शक्ति शासन को मर्यादित रखने का एक प्रमुख साधन है। यह संविधान का एक मूलभूत लक्षण है। यह संविधान का रक्षक है।

संभावित प्रश्न :

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

Scanned with CamScanner